

क्रम संख्या.....

प्ररूप-च
[खण्ड 10(1) देखें]

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपभोक्ता कार्ड के लिए आवेदन पत्र

1. शहर/नगर/ग्राम/पंचायत.....
2. क्या नया या कि प्रतीक है कारणों के साथ.....
3. गृह स्वामी का नाम.....
4. गृह का नाम (गृह संख्या के साथ).....
5. आवेदक का नाम.....पिता/पति.....
6. व्यवसाय और पदनाम के साथ पूर्ण पता.....
7. वितरण क्षेत्र में पहुंचने की तारीख/कारण.....
8. सभी स्रोतों से कुटुंब की कुल मासिक आय.....
(सरकारी/अर्धसरकारी विभागों/निगमों, बोर्डों
इत्यादि के कर्मचारियों के लिए भत्ते के साथ)
9. गैस कनेक्शन : हां/नहीं, उपभोक्ता संख्या.....डी.बी.सी.....हां/नहीं
10. कुटुंब के सदस्यों की विशिष्टियां जिनके लिए उपभोक्ता कार्ड अपेक्षित है:-

आवेदक का नाम और आवेदक के साथ रहने वाले कुटुंब के अन्य सदस्यों के नाम 1.	आवेदक के साथ सम्बन्ध 2.	व्यवसाय 3.	आयु 4.	स्थान और राज्य जहां से आए हैं प्रस्थान की तारीख के साथ 5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

आवेदक प्ररूप की रसीद

क्रम संख्या..... आवेदक का नाम.....
यह पावती.....को.....पर प्रस्तुत की जाएगी जब वितरण कार्ड जारी किया जाएगा यदि आवेदन ठीक पाया जाता है।

तारीख.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

11. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि:-
 (क) इस प्ररूप में दी गई सूचना सत्य है,
 (ख) पैरा-10 में वर्णित कोई भी व्यक्ति सेना से राशन प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही भारत में किसी अन्य राशन कार्ड में इन व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं,
 (ग) पैरा-10 में वर्णित कोई भी व्यक्ति किसी होस्टल/बोर्डिंग हाऊस से नियमित आहार प्राप्त नहीं कर रहा है, न ही उसके नाम बोर्डिंग हाऊस के लिए जारी किए गए राशन कार्ड में दर्ज किए गए हैं।
 मेरे या मेरे कुटुंब के सदस्य के पास गैस कनैक्शन संख्या..... एक/दो सिलेण्डर का है।

तारीख के साथ आवेदक के
हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

12. आवेदक कुटुंब का मुखिया है और मैं उसे व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ।
 मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना सही है।

प्रमाणन/अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी के
पदनाम की मुद्रा के साथ हस्ताक्षर

आवेदन भरने के लिए अनुदेश:

- (1) आवेदन साफ रूप से भरा जाना चाहिए जब नए वितरण कार्ड के लिए आवेदन किया जाना है।
- (2) अन्य राज्य/शहर/नगर/ग्राम से आने वाले व्यक्तियों को पूर्व कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रद्दकरण/प्रवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
- (3) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है, तो वह आवेदन को कार्यालय के मुखिया द्वारा प्रमाणित करवाएगा। यदि व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह आवेदन को नगर में निगमायुक्त या राजपत्रित अधिकारी अथवा विशेषतया या साधारणतया सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य वर्ग से व्यक्तियों से प्रमाणित करवाएगा।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

अधिकारी/पदधारी की जांच रिपोर्ट:-

आवेदक द्वारा पैरा-10 में दिए गए पते पर आज जांच पडताल की गई थी और आवेदन प्ररूप में वर्णित तथ्य सही पाए गए।

व्यस्क	बालक	शिशु	कुल सदस्य

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
मुद्रा सहित।

उपभोक्ता कार्डों की कोड संख्या.....कम संख्या.....(निरीक्षक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामले/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,
तारीख.....

कार्डधारक के के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान।
तारीख.....

कार्ड बनाने वाले अधिकारी/पदधारी
के हस्ताक्षर।